- न्यायालय में लगने वाले समय व पैसे की बचत।
- अभियुक्त को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जायेगा, अथवा
- धारा 360 दण्ड प्रक्रिया संहिता, अथवा
- अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- जहां परिवीक्षा / भर्त्सना का लाभ नहीं दिया जा सकता, वहां मूल दण्ड का 1/4 दण्ड।
- विधि में अपराध का न्यूनतम दण्ड के 1/2 भाग का दण्ड।
- पूर्व में भोगी गई जेल अवधि का समायोजन।
- प्रकरण का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी
- प्रकरण की कोई अपील नहीं
- 'प्ली बारगेनिंग' में दिया गया कोई भी कथन अभियुक्त के विरूद्ध किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त नहीं।

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें –

1. उच्च न्यायालय स्तर पर – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उप समिति जबलपुर, ग्वालियर एवं इन्दौर के सचिव अथवा वहाँ के जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
2. जिला स्तर पर– जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
3. तहसील स्तर पर–दीवानी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति से,
4. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से।

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन
NATIONAL LEGAL LITERACY MISSION

कानूनी साक्षरता
हटाये दुर्बलता

"प्ली बारगेनिंग"

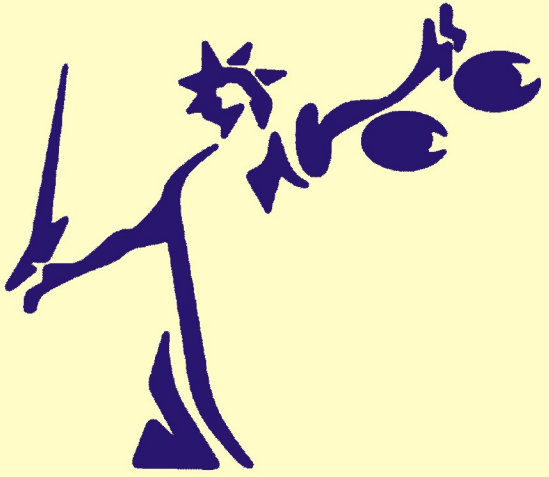

JUSTICE

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
सी-2, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)
दूरभाष: (0761) 2678352, 2624131
फैक्स : 2678537

''प्ली बारगेनिंग''

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में नवीनतम संशोधन द्वारा अध्याय 21–ए के रूप में 'प्ली–बारगेनिंग' का प्रावधान जोड़ा गया है। 'प्ली बारगेनिंग' दाण्डिक मामले का समझौते के आधार पर अंतिम निराकरण हेतु एक अनुबंध है। जो कि न्यायालय के निर्देशन एवं नियंत्रण में होता है –

- परिवादी की शिकायत पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये गये मामले में अभियुक्त एवं पीड़ित के मध्य होता है।
- पुलिस द्वारा प्रस्तुत मामले में यह अनुबंध अभियुक्त, मामले के अनुसंधानकर्ता, अभियोजक एवं पीड़ित के मध्य होता है।

'प्ली बारगेनिंग के लिये आवेदन

कोई अभियुक्त जो कि 18 वर्ष से अधिक आयु का है और वह स्वैच्छिक रूप से 'प्ली बारगेनिंग' करने हेतु अपराध एवं मामले संक्षिप्त विवरण, शपथ पत्र सहित आवेदन पत्र उसी न्यायालय में जिसमें मामला चल में प्रस्तुत कर सकता है। प्ली बारगेनिंग के लिये आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जहां अपराध –

1. 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय हो या
2. महिला या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरूद्ध कारित किया गया हो या
3. देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है
4. अभियुक्त एक बार प्ली बारगेनिंग का लाभ उठा जा चुका हो।
5. अभियुक्त उसी अपराध के लिये पूर्व में दोष सिद्धहो चुका हो।

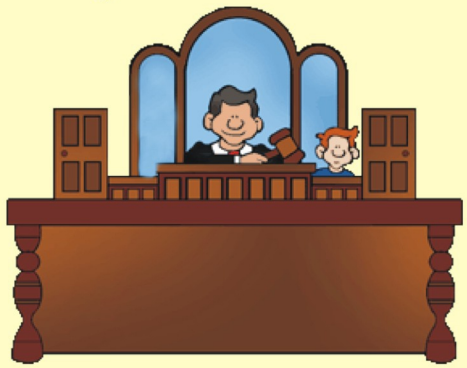

न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

- न्यायालय द्वारा लोक अभियोजक/परिवादी, पीड़ित तथा मामले के अनुसंधानकर्ता को नोटिस जारी किया जावेगा।
- न्यायालय द्वारा अभियुक्त की एकान्त में परीक्षा की जायेगी कि समाधान स्वैच्छिक रूप से है।
- पक्षकारों एवं अभियुक्त की पारस्परिक समाधान हेतु मीटिंग की जायेगी, अधिवक्ता का सहयोग लिया जाना संभव।

- न्यायालय द्वारा भी इसमें आवश्यक सहायता प्रदान की जा सकती है।
- मीटिंग उपरांत न्यायालय द्वारा रिपोर्ट जो उपस्थित पक्षकारों, अधिवक्ता तथा न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।
- पारस्परिक समाधान नहीं होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले के निराकरण।

'प्ली बारगेनिंग' के आधार पर प्रकरण के निराकरण के लाभ –

- पीड़ित को स्वैच्छिक पारस्परिक समाधान के अनुसार क्षतिपूर्ति।